

(0000/MY/SRG)

माइनोंरिटी कम्युनिटी सेफ नहीं है, यह किसने कहा? आज भी कई सदस्यों ने इस लफ्ज का इस्तेमाल किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ। हमारी सरकार के खिलाफ आप नारेबाजी कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, यह सब डेमोक्रेसी में चलता है। जब आप हिन्दुस्तान में रह कर कहते हैं कि यहां माइनोंरिटी सेफ नहीं है। आप समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं खुद एक माइनोंरिटी हूँ। हिन्दुस्तान से ज्यादा कहीं भी माइनोंरिटी की सेफ्टी नहीं है। इस देश में हरेक माइनोंरिटी शान से जीने का अधिकार रखता है... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, इसका कोई मतलब नहीं है... (व्यवधान) मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ... (व्यवधान) आप सब जानते हैं कि हमारे बॉर्डर वाले कंट्रीज से कितने लोग आए हैं। वर्ष 1959 में चीन और तिब्बत में समस्या हुई। उस समय तिब्बत के लोगों को परम पूज्य दलाई लामा जी के साथ भारत में आना पड़ा। वे लोग हमारे देश में आए। वे लोग यहां शरण लेकर बैठे हुए हैं। जब म्यांनमार में डेमोक्रेसी को लेकर समस्या खड़ी हुई तो वहां के सारे रिफ्यूजी हिन्दुस्तान में आकर शरण लिये। बांग्लादेश में माइनोंरिटी कम्युनिटी के खिलाफ रिलिजियस पर्सिक्यूशन हुआ। वे रिफ्यूजी बन कर भारत में आए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में माइनोंरिटी, चाहे वह सिख हो, क्रिश्चियन हो, हिन्दू हो, बौद्ध हो, जब वहां उनके खिलाफ रिलिजियस पर्सिक्यूशन हुआ तो वे हमारे देश में आए... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, श्रीलंका में तमिल के साथ जब समस्या हुई तो वहां के तमिल भारत में आए। आप कैसे कह सकते हैं कि भारत में माइनोंरिटीज सेफ नहीं है। आप बहुत ही गलत बात कह रहे हैं। आपको आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी... (व्यवधान) अपने देश को गाली देना, अपने देश को बदनाम करना, यह ठीक नहीं है। इसे आपने सदन के रिकॉर्ड में कहा है। आने वाली पीढ़ी आपके बारे में क्या सोचेगी? इसे आप सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय, कई लोगों ने सेकुलर के बारे में कहा है। जब हमारे देश भारत का विभाजन हुआ, तो हमारा देश सेकुलर रह गया। हमारे देश से जो अलग हुए, वे सेकुलर नहीं हुए। यह जानना जरूरी है। इसे मुझे इस सदन में कहना चाहिए। भारत देश इसीलिए सेकुलर है कि यहां मेजोरेटी लोग सेकुलर सोचते हैं... (व्यवधान) तभी यह देश सेकुलर है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में लोग सेकुलर क्यों नहीं हैं? यहां किसकी वजह से सेकुलर है, कम से कम इसे एक्नॉलेज तो करना चाहिए। सेकुलरिज्म को लेकर ये लोग बार-बार सेकुलर के बारे में बोलते हैं। अगर ये लोग पाकिस्तान में होते, बांग्लादेश में होते तो अपने आप को सेकुलर नहीं कहते। यहां हम सब फ्रीअली अपने आप को सेकुलर कह सकते हैं। इसके बावजूद भी आप इस देश को गाली देने का काम करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने हमारे माइनोंरिटी कम्युनिटीज को लेकर हमें बदनाम करने की कोशिश की है। मैं आपके पुराने रिकॉर्ड के बारे में कहना चाहता हूँ। हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में, पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के समय में, मैं नेहरू जी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने क्या कहा और क्या पॉलिसी अपनाई, इस बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। वर्ष 1950 में पंडित जवाहर लाल नेहरू

जी ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास करके कहा है कि नॉर्थ-ईस्ट में क्रिश्चियन को मेजोरेटी में नहीं करना है। वहां ट्राइबल लोगों अपने तरीके से जीने देना चाहिए। आज हम क्रिश्चियन के खिलाफ नहीं हैं। उस समय नेहरू जी ने ही कहा कि tribals should be allowed to live according to their customs and traditions. यह नेहरू जी की पॉलिसी है। बाद में श्री इंदिरा गांधी के समय मदर टेरेसा को हमारे यहां नहीं आने देने का प्रतिबंध किसने लगाया?

(0005/CP/RCP)

इंदिरा गांधी जी ने मदर टेरेसा की एंट्री बैन की और हमें आप कहते हैं कि हम क्रिश्चियन्स पर अटैक करते हैं। आपका इतिहास है और आप इससे भाग नहीं सकते हैं। नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी पूर्व प्रधान मंत्री रहे हैं। उस हिसाब से सब उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य से आप भाग नहीं सकते हैं।

अध्यक्ष जी, 12 बजने वाले हैं। ... (व्यवधान) 12 बज चुके हैं। ... (व्यवधान) हमारे लिए 12 नहीं बजे, अपोजिशन पार्टी के 12 बज गए हैं। ... (व्यवधान) मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि आज जितनी चर्चा करने का समय दिया, उस समय में सभी ने चर्चा की और अपनी-अपनी बात को रखा। जिसको समझना था, वह समझ गया है। जिसको नहीं समझना था, उसको समझाकर फायदा नहीं हुआ, वह भी मैंने देख लिया है। यह बिल पास होने पर करोड़ों गरीब, महिलाएं, बच्चे और गरीब मुसलमान प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देंगे। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं सबको कहना चाहता हूँ कि हृदय परिवर्तन करने का अभी भी समय है, आप इस बिल का समर्थन करके इसे पारित होने में मदद करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। (इति)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, अब हम आइटम नंबर 12 सभा के निर्णय के लिए ले रहे हैं। ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** अब मैं प्रो. सौगत राय जी द्वारा अमेंडमेंट टू मोशन फॉर कंसीडरेशन में प्रस्तुत संशोधन संख्या 108 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है:

“कि वक्फ अधिनियम, 1995 का और संशोधन करने वाले विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित, पर विचार किया जाए।”

**अनेक माननीय सदस्य:** हां।

**कुछ माननीय सदस्य:** नहीं। ... (व्यवधान)

**कई माननीय सदस्य :** महोदय, हम डिवीजन चाहते हैं।

**माननीय अध्यक्ष :** डिवीजन देते हैं।

(0010/PS/NK)

प्रवेश-कक्ष खाली कर दिए जाएं –

अब प्रवेश-कक्ष खाली हो गए हैं।

महासचिव ।

## **ANNOUNCEMENT RE: AUTOMATIC VOTE RECORDING SYSTEM**

0011 hours

SECRETARY-GENERAL: Kind attention of the hon'ble Members is invited to the (method of operation) points in the operation of the Automatic Vote Recording System:-

1. Before a Division starts, every Hon'ble Member should occupy his or her own seat and operate the system from that seat only.
2. When the Hon'ble Speaker says "Now Division", the Secretary-General will activate the voting button and a GONG sound will be heard simultaneously.
3. For voting, "ONLY" after the sound of the GONG; repeat only after the sound of the GONG, Hon'ble Members may simultaneously press the "VOTE SECURE" button towards the left side of the multimedia device on the Headphone plate

and

any one of the following buttons fixed on the right side of the Headphone plate:

Yes	:	Below Green Colour Sticker
No	:	Below Red Colour Sticker
Abstain	:	Below Yellow Colour Sticker

4. It is essential to keep both the buttons pressed till another GONG is heard. (0015-1235/SNT/RAJ)
5. Hon. Members may please note that their votes will not be registered:
  - (i) If buttons are kept pressed before the first GONG; or
  - (ii) Both buttons are not kept simultaneously pressed till the second GONG.
6. Hon. Members will be able to see the final result after a gap of a few seconds after the second GONG.
7. Hon. Members will be able to check their vote on display boards installed on either side of Hon. Speaker's Chair, multimedia device and also on the Yes/No/Abstain button.
8. In case, vote is not registered or if any member wishes to change their vote, they may call for voting through slips.

---

**माननीय अध्यक्ष :** अब मतदान होगा।

प्रश्न यह है :

“कि वक्फ अधिनियम, 1995 का और संशोधन करने वाले विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित, पर विचार किया जाए।”

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

(0040/SK/AK)

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्यगण, मैं फिर व्यवस्था देता हूँ क्योंकि अंतर्विरोध नहीं होना चाहिए और स्पष्टता होनी चाहिए। जब नया संसद भवन बना था, उस समय हमने लॉबी की डेफिनेशन दी थी और फिर मैं आपको लॉबी की डेफिनेशन दे देता हूँ।

लॉबी का तात्पर्य इस बरामदे से है जो सभा भवन के बिल्कुल सनिकट है और सभा भवन के साथ ही समाप्त होती है। लॉबी के किसी भी दरवाजे को खोला नहीं गया है, सभी सदस्य लॉबी के अंदर हैं। यह एक व्यवस्था बता रहा हूँ, यह कोई नई सूचना नहीं है। जब नया संसद भवन बना था तब यह व्यवस्था थी कि लॉबी के अंदर ही बाथरूम हो और इस व्यवस्था के तहत बनाते समय विचार किया गया था क्योंकि पुराने भवन में यह व्यवस्था नहीं थी, इसलिए नए भवन में यह व्यवस्था दी गई है।

आपके मन में इस व्यवस्था को लेकर अंतर्विरोध नहीं होना चाहिए कि कोई लॉबी नहीं खोली गई है।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** अब बहस नहीं करें। व्यवस्था ठीक से दी है और बनाते समय व्यवस्था ठीक से बनाई थी क्योंकि कई बजुर्ग होते हैं, कई नौजवान हैं। इस व्यवस्था को इस दृष्टि से बनाते समय निर्माण किया था।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अध्यक्षीन, मत-विभाजन का परिणाम यह है:

हां : 288

नहीं : 232

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

## खंड 2

**माननीय अध्यक्ष:** श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 75 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I rise to move:

Omit "Management, Empowerment, Efficiency & Development". (75)

**माननीय अध्यक्ष:** अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 75 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 2ए विधेयक में जोड़ दिया गया।

(0045/KN/UB)

## खंड 3

**माननीय अध्यक्ष:** श्री अरविंद गणपत सावंत जी, क्या आप संशोधन संख्या 1 से 4 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI ARVIND GANPAT SAWANT (MUMBAI SOUTH): Sir, I am not moving my amendments.

**माननीय अध्यक्ष:** श्री गौरव गोगोई जी, क्या आप संशोधन संख्या 12 और 13 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI GAURAV GOGOI (JORHAT): Sir, I beg to move:

Page 2, omit line 33. (12)

Page 2, omit lines 35 to 40. (13)

**माननीय अध्यक्ष:** अब मैं श्री गौरव गोगोई जी द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 12 और 13 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

**माननीय अध्यक्ष:** श्री इमरान मसूद जी, क्या आप संशोधन संख्या 23 से 25 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

**श्री इमरान मसूद (सहारनपुर) :** अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

पृष्ठ 2, पंक्ति 26 से 35 का लोप करें। (23)

पृष्ठ 3, पंक्ति 5 से 25 का लोप करें। (24)

पृष्ठ 3, पंक्ति 26 से 32 का लोप करें। (25)

**माननीय अध्यक्ष:** अब मैं श्री इमरान मसूद जी द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 23 से 25 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

**माननीय अध्यक्ष:** श्री के. सी. वेणुगोपाल जी, क्या आप संशोधन संख्या 39 से 42 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, I beg to move:

Page 2, *omit* lines 2 to 7. (39)

Page 2, line 21,-

*after* "or any part thereof"

*insert* "title of which vests in a Government Organisation;". (40)

Page 2, *omit* lines 33 to 46. (41)

Page 3, *omit* lines 1 to 7. (42)

**माननीय अध्यक्ष:** अब मैं श्री के. सी. वेणुगोपाल जी द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 39 से 42 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

**माननीय अध्यक्ष:** डॉ. मोहम्मद जावेद जी, क्या आप संशोधन संख्या 50 से 53 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

DR. MOHAMMAD JAWED (KISHANGANJ): Sir, I beg to move:

Page 2, *omit* lines 2 to 7. (50)

Page 2, *omit* lines 34 to 47. (51)

Page 3, *omit* lines 1 to 7. (52)

Page 3, *after* line 11,-

*Insert* "Provided that nothing in the above section shall require proof of ownership to transfer in case of a Waqf by User". (53)

**माननीय अध्यक्ष:** अब मैं डॉ. मोहम्मद जावेद जी द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 50 से 53 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

**माननीय अध्यक्ष:** श्री असादुद्दीन ओवैसी जी, क्या आप संशोधन संख्या 60 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, I beg to move:

Page 2, *omit* lines 33. (60)

**माननीय अध्यक्ष:** अब मैं श्री असादुद्दीन ओवैसी जी द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 60 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

**माननीय अध्यक्ष:** श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी जी, क्या आप संशोधन संख्या 70 से 72 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI AGA SYED RUHULLAH MEHDI (SRINAGAR): Sir, I beg to move:

Page 2, *omit* lines 2 to 22. (70)

Page 2, *omit* lines 29 to 32. (71)

Page 2, *omit* lines 35 to 41. (72)

**माननीय अध्यक्ष:** अब मैं श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी जी द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 70 से 72 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

**माननीय अध्यक्ष:** श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 76 से 79 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

Page 2, line 11,-

*after* "the Collector"  
*insert* "or Government". (76)

Page 2, lines 36 and 37,-

*omit* "showing or demonstrating that he is practising islam for at least five years". (77)

Page 2, line 38,-

*for* "having ownership"  
*substitute* "having absolute ownership". (78)

Page 2 lines 39 and 40,-

*omit* "and that there is no contrivance involved in the dedication of such property". (79)

**माननीय अध्यक्ष:** अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 76 से 79 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

**माननीय अध्यक्ष:** प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 96 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I beg to move:

Page 3, line 6 and 7,-

*omit* "except that the property, wholly or in part, is in dispute or is a government property;". (96)

**माननीय अध्यक्ष:** अब मैं प्रो. सौगत राय जी द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 96 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

**माननीय अध्यक्ष:** श्री के. सुधाकरन जी, क्या आप संशोधन संख्या 116 और 117 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI K. SUDHAKARAN (KANNUR): Sir, I beg to move:

Page 2, *omit* lines 2 to 7. (116)

Page 2, line 21,-

*after* "or any part thereof"  
*insert* "title of which vests in a Government Organisation or". (117)

**माननीय अध्यक्ष:** अब मैं श्री के. सुधाकरन जी द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 116 और 117 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

**माननीय अध्यक्ष:** श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर जी, क्या आप संशोधन संख्या 118 और 120 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER (MALAPPURAM): Sir, I beg to move:

Page 2, *omit* line 33. (118)

Page 3, *omit* lines 1 to 7. (120)

**माननीय अध्यक्ष:** अब मैं श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर जी द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 118 और 120 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

(0050/GM/VB)

**माननीय अध्यक्ष :** श्री के. राधाकृष्णन जी, क्या आप संशोधन संख्या 119 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI K. RADHAKRISHNAN (ALATHUR): Sir, I beg to move:

Page 2, lines 36 and 37,-

omit "showing or demonstrating that he is practicing Islam for at least five years". (119)

**माननीय अध्यक्ष :** अब मैं श्री के. राधाकृष्णन जी द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 119 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है:

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

#### खंड 4

**माननीय अध्यक्ष :** श्री अरविंद गणपत सावंत जी, क्या आप संशोधन संख्या 5, 6 और 7 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI ARVIND GANPAT SAWANT (MUMBAI SOUTH): Sir, I beg to move:

Page 3, *after* line 11, *insert*-

"Provided that nothing in the above clause shall be deemed to require proof of ownership or competency to transfer in case of a Waqf by User".

(5)

Page 3, *omit* lines 12 to 48. (6)

Page 4, *omit* lines 1 to 14. (7)

**माननीय अध्यक्ष :** अब मैं श्री अरविंद गणपत सावंत जी द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 5, 6 और 7 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री गौरव गोगोई जी, क्या आप संशोधन संख्या 14 और 15 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI GAURAV GOGOI (JORHAT): I beg to move:

Page 3, line 18,-

*for* "within a period of six months from such commencement,"

*substitute* "within a prescribed period from such commencement, which shall not be less than five years;" (14)

Page 3, for lines 46 to 48,-

*substitute* "3C. (1) Any Government property identified or declared as waqf property shall not be deemed as waqf property without being determined by the tribunal or a court." (15)

**माननीय अध्यक्ष :** अब मैं श्री गौरव गोगोई जी द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 14 और 15 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री इमरान मसूद जी, क्या आप संशोधन संख्या 26, 27 और 28 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

**श्री इमरान मसूद (सहारनपुर) :** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

पृष्ठ 4, पंक्ति 1 से 4 का लोप करें। (26)

पृष्ठ 4, पंक्ति 6 और 7,-

“छह महीने की अवधि के भीतर” के स्थान पर

“उचित अवधि के भीतर” प्रतिस्थापित करें। (27)

पृष्ठ 4, पंक्ति 36 से 38 का लोप करें। (28)

**माननीय अध्यक्ष :** अब मैं श्री इमरान मसूद जी द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 26, 27 और 28 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री के.सी. वेणुगोपाल जी, क्या आप संशोधन संख्या 43, 44, 45 और 46 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

**SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA):** I beg to move:

Page 3, after line 11,-

*insert* “Provided that nothing in the clause shall be deemed to require proof of ownership or competency to transfer in case of a Waqf by User;” (43)

Page 3, *omit* lines 12 to 14. (44)

Page 3, *omit* lines 15 to 48. (45)

Page 4, *omit* lines 1 to 14. (46)

**माननीय अध्यक्ष :** अब मैं श्री के.सी. वेणुगोपाल जी द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 43, 44, 45 और 46 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

**माननीय अध्यक्ष :** डॉ. मोहम्मद जावेद जी, क्या आप संशोधन संख्या 54 और 55 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

DR. MOHAMMAD JAWED (KISHANGANJ): Sir, I beg to move:

Page 3, *omit* lines 15 to 48. (54)

Page 4, *omit* lines 1 to 14. (55)

**माननीय अध्यक्ष :** अब मैं डॉ. मोहम्मद जावेद जी द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 54 और 55 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री असादुद्दीन ओवैसी जी, क्या आप संशोधन संख्या 61, 62, 63, 64 और 65 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, I beg to move:

Page 2, *omit* lines 35 to 41. (61)

Page 3, *omit* lines 10 to 14. (62)

Page 3, line 18,-

*for* "within a period of six months from such commencement"

*substitute* "within a prescribed period from such commencement which shall not be less than five years". (63)

Page 3, *omit* lines 46 to 48. (64)

Page 4, *omit* lines 1 to 14. (65)

**माननीय अध्यक्ष :** अब मैं श्री असादुद्दीन ओवैसी जी द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 61, 62, 63, 64 और 65 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 80, 81, 82, 83 और 84 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

Page 3 line 18,-

*for* "six"  
*substitute* "twenty four". (80)

Page 3 line 20,-

*for* "six "  
*substitute* "twenty four". (81)

Page 3 line 47,-

*omit* "not". (82)

Page 4 line 7,-

*omit* "not". (83)

Page 4 line 7,-

*after* "waqf property"  
*insert* "as per the existing provisions of law". (84)

**माननीय अध्यक्ष :** अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 80, 81, 82, 83 और 84 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

**माननीय अध्यक्ष :** प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 97 और 98 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I beg to move:

Page 3, line 18,-

*for* "six months"  
*substitute* "one year". (97)

Page 3, *omit* lines 46 to 48. (98)

**माननीय अध्यक्ष :** अब मैं प्रो. सौगत राय जी द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 97 और 98 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 109 प्रस्तुत करें।

*Amendment made:*

Page 3, lines 20 and 21,-

*for* "the period of six months under this section for such period"

*substitute* "such period of six months under this section for a further period not exceeding six months". (109)

(Shri Kiren Rijiju)

**माननीय अध्यक्ष :** श्री के. सुधाकरन जी, क्या आप संशोधन संख्या 121 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI K. SUDHAKARAN (KANNUR): Sir, I beg to move:

Page 3, after line 11,-

*Insert* "Provided that nothing in the clause shall be deemed to require proof of ownership or competency to transfer in case of a Waqf by User". (121)

**माननीय अध्यक्ष :** अब मैं के. सुधाकरन जी द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 121 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री राजेश रंजन जी, क्या आप संशोधन संख्या 130 और 131 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI RAJESH RANJAN (PURNIA): Sir, I beg to move:

Page 3, line 18,-

*for* "within a period of six months from such commencement"

*substitute* "within such period which shall not be less than five years as may be prescribed from such commencement ". (130)

Page 3, for lines 46 to 48,-

*substitute* "3C.(1) Any Government property identified or declared as waqf property, before or after the commencement of this Act, shall not be

deemed to be a waqf property unless settled  
by any tribunal or court ". (131)

**माननीय अध्यक्ष :** अब मैं श्री राजेश रंजन जी द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 130 और 131 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।  
संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

(0055/PC/RCP)

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है :

“कि खंड 4, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

-----

**Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)**

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; AND MINISTER OF  
MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): I beg to move:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No.110\* to the Waqf (Amendment) Bill, 2025 and that this amendment may be allowed to be moved.”

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है :

“कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 की सरकारी संशोधन संख्या 110\* को लागू करने के संबंध में निलंबित करे और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

\* Vide Amendments List No.11 circulated on 2.4.2025

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 110 प्रस्तुत कीजिए।

### New Clause 4A

*Amendment made:*

Page 4, after line 14,-

*insert*

Declaration of protected monument or protected area as waqf to be void.

**"3D.** Any declaration or notification issued under this Act or under any previous Act in respect of waqf properties shall be void, if such property was a protected monument or protected area under the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 or the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, at the time of such declaration or notification.

Bar of declaration of any land in Scheduled or Tribal area as waqf.

**3E.** Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, no land belonging to members of Scheduled Tribes under the provisions of the Fifth Schedule or the Sixth Schedule to the Constitution shall be declared or deemed to be waqf property." (110)

(Shri Kiren Rijju)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि नया खंड 4क विधेयक में जोड़ दिया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 4क विधेयक में जोड़ दिया गया।

**खंड 5**

**माननीय अध्यक्ष :** श्री गौरव गोगोई जी, क्या आप संशोधन संख्या 16 प्रस्तुत करना चाहते हैं?  
SHRI GAURAV GOGOI (JORHAT): Sir, I am moving amendment No.16 to Clause 5.

I beg to move:

“Page 4, *omit* line 31.” (16)

**माननीय अध्यक्ष :** अब मैं श्री गौरव गोगोई जी द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 16 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी जी, क्या आप संशोधन संख्या 73 और 74 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI AGA SYED RUHULLAH MEHDI (SRINAGAR): Sir, I am moving amendment Nos. 73 and 74 to Clause 5.

I beg to move:

“Page 4, *omit* lines 16 to 29.” (73)

“Page 4, *omit* line 32.” (74)

**माननीय अध्यक्ष :** अब मैं श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी जी द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 73 और 74 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है :

“कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

## खंड 6

**माननीय अध्यक्ष :** श्री गौरव गोगोई जी, क्या आप संशोधन संख्या 17 और 18 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI GAURAV GOGOI (JORHAT): Sir, I am moving amendment Nos.17 and 18 to Clause 6.

I beg to move:

“Page 4, *omit* line 47.” (17)

“Page 5, *omit* lines 1 to 7.” (18)

**माननीय अध्यक्ष :** अब मैं श्री गौरव गोगोई जी द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 17 और 18 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 85 और 86 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am moving amendment Nos. 85 and 86 to Clause 6

I beg to move:

Page 4 line 41,-

*for* “ninety days”  
*substitutue* “one year”. (85)

Page 5 line 4,-

*for* “ninety days”  
*substitutue* “six months”. (86)

**माननीय अध्यक्ष :** अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 85 और 86 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री के. राधाकृष्णन जी, क्या आप संशोधन संख्या 122 प्रस्तुत करना चाहते हैं?  
**SHRI K. RADHAKRISHNAN (ALATHUR):** Sir, I am moving amendment No.122 to Clause 6.

I beg to move:

Page 4, line 41,-

for "ninety days"  
 substitute "one year ". (122)

**माननीय अध्यक्ष :** अब मैं श्री के. राधाकृष्णन जी द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 122 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है :

“कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

### खंड 7

**माननीय अध्यक्ष :** श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर जी, क्या आप संशोधन संख्या 123 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

**SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER (MALAPPURAM):** Sir, I am moving amendment No.123 to Clause 7.

I beg to move:

“Page 5, omit lines 18 to 24.” (123)

**माननीय अध्यक्ष :** अब मैं श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर जी द्वारा खंड 7 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 123 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है :

“कि खंड 7 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।